राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर

राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर की सुखाडिया नगर योजना एवं राजसमन्द शहर की गोविन्द नगर आवासीय योजना में पंजीकृत/अपंजीकृत आवदको के लिए नगद भुगतान पद्वति पर **खुली बिक्री योजना** में शेष फ्लेटो के आवंटन का का स्वर्णिम अवसर

आवेदन पत्र बिक्री/ प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि (कार्य दिवस/ समय में) 08-02-2018	"पहले आओ पहले पाओं" के आधार पर	आवेदन पत्र बिक्री/ प्राप्त करने की अंतिम तिथि (कार्य दिवस/ समय में) 30.06.2018

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति अधिनियम 1970 के नियमानुसार राजसमन्द जिले के नाथद्वारा शहर एवं राजसमन्द शहर में आवासन मण्डल की निम्नलिखित योजनाओं में फ्लेटो की खुली बिक्री निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है :-

क्र. सं.	श्रेणी	उपलब्ध फ्लेटस संख्या	संख्या	फ्लेट का निर्मित क्षै. (व.मी)	फ्लेट की लागत	आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण राशि एवं पूर्वग्रहण राशि + प्रशासनिक शुल्क	नगद भुगतान में तीन माह में जमा करने की राशि
गोविन्द नगर, राजसमन्द							
1	MIG-A (G+3)	A-01, A-02, A-04, B-01, B-02, B-03, C-01 & C-02 (Ground Floor)	08	74.610	2052800/-	90000/- +1000/-	2016799/-
2	MIG-A (G+3)	A-06, A-08, B-06, B-07, B-08, C-03 & C-04 (First Floor)	07	74.610	1928500/-	90000/- +1000/-	1886674/-
3	MIG-A (G+3)	A-10, A-12, B-10, B-11, B-12 & C-05 (Second Floor)	06	74.610	1897500/-	90000/- +1000/-	1854221/-
4	MIG-A (G+3)	A-15, A-16, B-15, C-07 & C-08 (Third Floor)	05	74.610	1835400/-	90000/- +1000/-	1789212/-
सुखाडिया नगर, नाथद्वारा							
1	MIG-B (G+2)	E-01 (Ground Floor)	01	91.55	3583500/-	150000/- +1500/-	3538177/-
2	MIG-B (G+2)	E-03, G-04 (First Floor)	06	91.55	3327700/-	150000/- +1500/-	3269101/-
3	MIG-B (S+2)	I-01, I-02, J-01, & J-02 (First Floor)					
4	MIG-B (S+2)	H-04, I-03, J-03 & J-04 (Second Floor)	04	91.55	3199800/-	150000/- +1500/-	3134565/-

नोटः- उपरोक्त लागत के अतिरिक्त आवंटन पत्र में :

1. लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जेज कुल लागत का मध्यम आय वर्ग (अ), (ब) के लिए 2 प्रतिशत एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3 प्रतिशत देय होगी। कोने के भूतल के फ्लैट के लिए निर्माण लागत का 2 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
2. फ्लैट की पूर्ण लागत का वस्तु एवं सेवाकर, लीगल चार्जेज एवं नक्शे की राशि भी पृथक से नियमानुसार देय होगी।

केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन लागू होंगे।

आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु

1. इस योजना में दिनांक 08.02.2018 से दिनांक 30.06.2018 तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेगें।
2. इस योजना के आवेदन फॉर्म दिनांक 08.02.2018 से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से 200/- रूपये नगद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। इस योजना में फ्लैट आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 4.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जावेगे एवं फ्लैटों का आवंटन उसी दिन उपस्थित आवेदनकर्ताओं के समक्ष सांय 5.00 बजे से शुरू कर दिया जावेगा। एक फ्लैट के लिए एक से अधिक विकल्प प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा उपस्थित आवेदकों के सामने आवंटन किया जावेगा। असामान्य परिस्थिति होने पर लॉटरी कार्यक्रम पृथक से निर्धारण करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
3. पंजीकृत आवेदकों को फ्लैटों का आवंटन वर्षानुसार वरीयता की प्राथमिकता के क्रम में किया जावेगा।
4. नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत फ्लैट की मांग राशि आवेदक को तीन माह में जमा करानी होगी, एवं आवटन पत्र अनुसार देय राशि जमा नही कराने पर फ्लैट निरस्त होने की स्थिति में जमा पंजीकरण राशि नियमानुसार कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
5. इस योजना में आवेदक से आवेदन पत्र में केवल एक ही योजना/अपार्टमेन्ट में एक ही आय वर्ग का एक ही प्रकार के फ्लैट का विकल्प स्वीकार किया जायेगा। यदि आवेदक एक से अधिक फ्लैट लेना चाहता है तो अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. इस योजना में असफल आवेदक अपना डीडी अगले कार्य दिवस में प्राप्त कर सकेंगे एवं अन्य फ्लैट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
7. आवेदक आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार उसके आय वर्ग के अनुसार राशि का बैंक ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल, नाथद्वारा (सुखाडिया नगर नाथद्वारा हेतु) एवं राजस्थान आवासन मण्डल, राजसमन्द (गोविन्द नगर योजना, राजसमंद हेतु) के पक्ष में देय बनवाकर जमा कराना होगा।
8. प्रस्तावित फ्लैटों का आवंटन **"जहाँ है जैसे है"** उसी स्थिति में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में खुली बिक्री योजना में सम्मिलित फ्लैट को विलोपित किया जा सकता है।
10. अन्य जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता हैं।

सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (व.)	आवासीय अभियन्ता	उप आवासन आयुक्त
उप खण्ड राजसमन्द	खण्ड द्वितीय, उदयपुर	राजस्थान आवासन मण्डल
मो. 9983993873	पारस तिराहा, सेक्टर 11, उदयपुर	वृत उदयपुर
	मो. 9983993914	फोन नं. 0294-2583327